वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्रेस विज्ञप्ति

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी की संयुक्त प्रवर्तन टीम द्वारा आज दिनाँक 06-08-2022 को अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही संपादित की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी की संयुक्त प्रवर्तन टीम द्वारा आज दिनाँक 06-08-2022 को अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही संपादित की गयी।

अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही

वार्ड- रामनगर

रामनगर वार्ड के अंतर्गत ग्राम-कोदोपुर, कटेसर पर श्री संतोष पाण्डेय व वगैरह विकासकर्ता द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग 05 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की गयी थी। थाना- रामनगर के अंतर्गत लगभग 08 करोड़ मूल्य की भूमि की अवैध प्लाटिंग का प्रवर्तन टीम एवं थाना-रामनगर के सहयोग से ध्वस्तिकरण कराया गया।

क्षेत्रीय जोनल अधिकारी - श्री अनिल कुमार दुबे एवं देवचन्द्र राम (ज़ोनल अधिकारी)

क्षेत्रीय अवर अभियंता - श्री संजय तिवारी
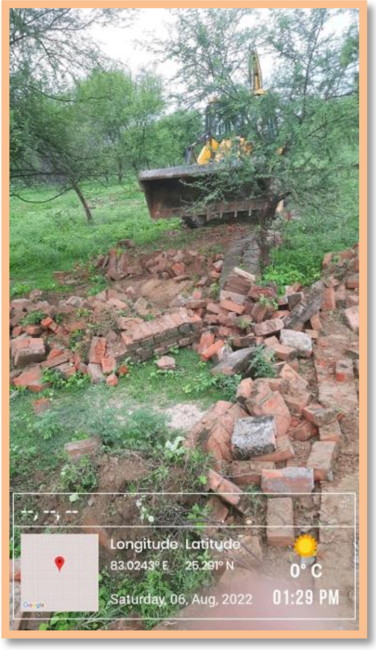
उपाध्यक्ष महोदया द्वारा आमजनमानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आऊट अथवा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण न करें, अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी।